न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–सुनिता चौधरी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 01/2025

मांगीलाल उर्फ मांगीया पुत्र रूघाराम
बनाम
ईश्वर पुत्र छगन गंगवानी वगैरा

दिनांक 4. **.02.2026**

उक्त अपील राज0 भू राजस्व अधि0 1956 की धारा 75 के तहत उपखण्ड अधिकारी लूणी (जोधपुर) द्वारा अंतर्गत धारा 111, 128 आरएलआर एक्ट के तहत राजस्व आवेदन संख्या 33/2023 में पारित आदेश दिनांक 01.01.2024 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

प्रस्तुत राजस्व अपील प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0सं0 1 से 3–प्रार्थी–ईश्वर वगैरा ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर तहसील लूणी के ग्राम मोगड़ा कलां के सह–खातेदारी खसरा नम्बर 234/1 रकबा 1.9425 है0 यानि 12 बीघा में निहित अपने हिस्से की भूमि को अलग करवाने की मंशा से संपूर्ण खसरे की भूमि का सीमांकन फर्द दिनांक 27.01.2023 के अनुसार पत्थरगढी करवाने का आग्रह किया गया। जिसे अपीलाधीन आदेश द्वारा आंशिक स्वीकार कर प्रार्थीगण के खातेदारी ख0नं0 234/1 कुल रकबा 1.9425 हैक्टर कृषि भूमि की मौका फर्द दिनांक 01.01.2024 अनुसार ख0नं0 243 के खातेदार की भूमि का सीमांकन कर रिकार्ड में दर्ज रकबे से अधिक होने पर प्रार्थीगण की पत्थरगढी मौका रिपोर्ट में प्रस्तावित रकबे के अनुसार करवाने हेतु तहसीलदार लूणी को आदेशित किया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलांट–मांगीलाल ने राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

अपील के साथ अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा करने हेतु मियाद अधिनियम की धारा 05 के तहत प्रार्थना पत्र मय श0प0 तथा अपील प्रस्तुत करने की अनुमति हेतु अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी को प्रार्थना प्रस्तुत किया गया, जो न्यायहित में स्वीकार कर प्रकरण का गुणावगुण पर परीक्षण किया गया।

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

वकील अपीलांट श्री हनुमान प्रजापति व रेस्पो0सं0 1 से 3 के अधिवक्ता श्री करणसिंह एवं रेस्पो0सं0 4 की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। दौरान बहस अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए अपनी बहस में मुख्यतः यह निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश विधिविरूद्ध एवं एकतरफा पारित किया गया है। जिसमें अपीलांट को मुकदमा पक्षकार नही बनाये जाने से सुनवाई का अवसर नही मिला। अपीलाधीन आदेश में मौका फर्द दिनांक 01.01.2024 के अनुसार अपीलांट के ख0नं0 243 की भूमि का सीमांकन कर, रिकार्ड में दर्ज रकबे से अधिक होने पर रेस्पो0–प्रार्थी के ख0नं0 243/1 की पत्थरगढी मौका रिपोर्ट में प्रस्तावित नक्शें के अनुसार करने का आदेश पारित कर दिया गया। जबकि ख0नं0 243 की भूमि के रेकर्डेड खातेदार को मुकदमा पक्षकार नही बनाया गया और सुनवाई का अवसर दिये बिना उसकी भूमि बाबत आदेश पारित कर दिया गया। अतः अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाने का आग्रह किया गया। वकील अपीलांट ने फार्म नं0 3 के संलग्न उल्लेखित दस्तावेजों की प्रतियां प्रस्तुत की गई।

जवाब में रेस्पो0 सं0 1 से 3 के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में मुख्यतः यह आग्रह किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0सं0 1 से 3–प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र ग्राम मोगड़ा कलां के सह–खातेदारी खसरा नम्बर 234/1 रकबा 1.9425 है0 यानि 12 बीघा में निहित अपने–अपने हिस्से की भूमि को अलग करवाने के उद्धेश्य से संपूर्ण खसरे की भूमि का सीमांकन फर्द दिनांक 27.01.2023 के अनुसार पत्थरगढी करवाने का आग्रह किया गया। फर्द सीमांकन रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी का ख0नं0 243/1 का रकबा 12 बीघा वर्तमान जमाबंदी में दर्ज है, किन्तु मौके पर भूमि 9.10 बीघा ही है। ऑनलाईन भू–नक्शा वेबसाईट अनुसार इस खसरे की पश्चिमी व पूर्वी भूजा कमशः 91.48 व 146.18 मीटर दर्ज है व मौके पर कम है। आलौच्य प्रकरण में अप्रार्थी–तहसीलदार लूणी के पत्रांक 1598/8.8.23, 2629/19.12.23 एवं 54/3.1.24 द्वारा जवाब मय जांच रिपोर्ट पेश की गई। पुनः प्रस्तुत जवाब मय जांच रिपोर्ट में ख0नं0 243 एवं उनके बट्टा नम्बरान की स्थिति का विस्तृत विवरण उल्लेखित है, जिसके बिन्दु सं0 4 में ख0नं0 243 के सभी बट्टा नम्बरान का माप गुगल सेटेलाईट मैप का सुपरइम्पोज वर्णित है तथा बिन्दु सं0 4 में अंकित नजरी नक्शें अनुसार पडौसी

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

ख0नं0 243 का रकबा जमाबंदी में दर्ज रकबे से अधिक रकबा लाल स्याही से प्रदर्शित करने का उल्लेख बिन्दु सं0 6 में किया गया है। आलौच्य प्रकरण में तहसीलदार लूणी के कार्यालय आदेश कमांकः भू.अ./सीमांकन/2024/3545 दिनांक 21.11.24 की पालना में गठित टीम द्वारा मौका फर्द दिनांक 25.11.24 के अनुसार दोनो पक्षों की उपस्थिति में ग्राम मोगड़ा के ख0नं0 243/1 व 243 के सीमांकन की कार्यवाही कर दी गई है। इसके उपरांत दिनांक 01.01.2025 को उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है, जो औचित्यहीन होने से खारिज कर, अपीलाधीन आदेश यथावत रखने का आग्रह किया गया।

रेस्पो0सं0 4 की ओर से उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने अपीलाधीन आदेश समर्थन करते हुए, प्रकट तथ्यों के आधार पर प्रकरण में विधिसम्मत निर्णय पारित कराने का आग्रह किया गया।

उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी एवं पत्रावली एवं रेकर्ड पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन व मनन किया गया। प्रकट तथ्यों के आधार पर आलौच्य प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौका स्थिति के परीक्षणोपरांत अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। मौका फर्द दिनांक 25.11.24 के अनुसार मौके पर ग्राम मोगड़ा के ख0नं0 243/1 व 243 के मध्य सीमांकन की कार्यवाही सम्पन्न हो चुकी है। अतः उक्त अपील औचित्यहीन प्रतीत होने से खारिज योग्य है।

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणाम स्वरूप अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नही पायी जाने से तद्नुसार खारिज की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी लूणी (जोधपुर) द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 33/2023 में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.01.2024 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 4.2.26 को खुले न्यायालय लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावे। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड निर्णय की सत्यप्रति के साथ लौटाया जावे।

4.2.26

(सुनिता चौधरी)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर